रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1973/ज्येष्ठ 12, 1895

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1973/JYAISTHA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1973

सा. का. नि. 557.—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1973 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 में (1) विनियम 3 के उप विनियम (1) में "प्रत्येक राज्य के अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए" शब्दों के स्थान पर "राज्य संवर्ग अथवा संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(2) अनुसूची में, कालम 2 के शीर्षक में प्रयुक्त "राज्य" शब्द के स्थान पर "राज्य संवर्ग/संयुक्त संवर्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 11/1/72-अ. भा. से. (1)-ख]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 22nd May, 1973

G.S.R. 557.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned and the Union Public Service to Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

24 G.I./73—1

(c) against the post of Stenographer (in all the States), for the existing entry in column 6, the following entry shall be substituted namely :—

"18-25 years";

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Recruitment Rules of the Small Scale Industries Organisation (Class III & Class IV posts) of 1960 are being amended in view of the recent orders issued by the Department of Personnel vide their O.M. No. 4/7/70-Estt (D) dated 13th March, 1972 raising the maximum age limit to 25 years in the case of Class III (Ministerial) posts.

[F. No. SSI(III)-A. 12018(1)/73]

H. L. SETH, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 मई, 1973

सा. का. नि. 577.—19 फरवरी, 1972 के "भारत के राजपत्र" **भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 528 में प्रकाशित सूचना** और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के 15 दिसम्बर, 1971 के जी. एस. आर. 202 की अधिसूचना में नियम 1 के उपनियम 1 में '(तृतीय संशोधन) नियमावली 1971' के स्थान पर 'संशोधन नियमावली 1972' पढ़ा जाए ।

[संख्या ए. 12018/3/70-प्रशासन-1/डी. एस. (1)]

एस. पद्मनाभन, उप-सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th May, 1973

CORRIGENDUM

G.S.R. 577.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No G.S.R. 202. dated 15th December, 1971, published at page 528 of the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (i) dated the 19th February, 1972, in sub-rule (1) of rule 1, for "(Third Amendment) Rules, 1971" read "(Amendment) Rules, 1972."

[No. A. 12018/3/70-Admn. I/DS(I)]

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 मई 1973

सा. का. नि. 578.—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार चलचित्र (सेन्सर) नियम, 1958 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को चलचित्र (सेन्सर) संशोधन नियम 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चलचित्र (सेन्सर) नियम, 1958 के नियम 10 में,—

(1) उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक में अपर प्रादेशिक आफिसरों और सहायक प्रादेशिक आफिसरों शब्दों के स्थान पर' और अपर प्रादेशिक आफिसरों' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(2) उपनियम (2) में 'प्रादेशिक आफिसर' शब्दों के बाद 'अपर प्रादेशिक आफिसर' शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।

[सं. 2/59/64-एफ(सी)]

हरजीत सिंह, अवर सचिव ।

New Delhi, the 3rd May, 1973

G.S.R. 578.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952, (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Censorship) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. (1) In the Cinematograph (censorship) Rules, 1958, in rule 10 :—

(1) In the first proviso to sub-rule (1) for the words "Additional Regional Officers and Assistant Regional Officers" the words "and Additional Regional Officers" shall be substituted;

(2) In sub-rule (2), after words "The Regional Officers", the words "the Additional Regional Officers" shall be inserted.

[No. 2/59/64-F(C)]

HARJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1973

सा. का. नि. 579.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में वर्तमान क्रम संख्या 60 के सम्मुख कालम 12 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"आयु : नहीं

शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं : नहीं"

[फाइल संख्या 1/6/73-बी(ए)

ए. वी. नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1973

G.S.R. 579.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III Posts) Recruitment (Amendment Rules, 1973).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial No. 60 in column 12, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Age : No.

Education and other qualifications : No."

[No. 1/6/73-B(A)]
A. V. NARAYANAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1973

अधिसूचना

सा. का. नि. 580.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1650 तारीख 1 नवम्बर, 1965 के साथ प्रकाशित डाक-तार बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम 1965 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक-तार बोर्ड सदस्य भर्ती (संशोधन) नियम 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-तार बोर्ड (सदस्य) भर्ती नियम 1965 की अनुसूची में वरिष्ठ सदस्य के पदों से क्रम संख्या 1 और 2 में से प्रत्येक के सामने मद 5 के अधीन "चयनतर" शब्द के स्थान पर "चयन" शब्द रखा जायेगा।

मदनलाल कक्कड़, अवर सचिव
[संख्या ए. 12018(2)/72-प्रशासन]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 21st May, 1973

G.S.R. 580.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Posts and Telegraphs Board (Members) Recruitment Rules, 1965, published with the notification of the Government of India in the Department of Communications No. GSR 1650 dated the 1st November, 1965, namely:—

1. (i) These rules may be called the Post and Telegraphs Board (Members) Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Posts and Telegraphs Board (Members) Recruitment Rules, 1965 against each of the serial numbers 1 and 2 relating to the posts of Senior Member, for the word 'Non-Selection' under Column 5, the word 'Selection' shall be substituted.

[No. A. 12018(2)/72-Admn.]
M. L. KAKAR, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1973

सा. का. नि. 581.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सांख्यिकी विभाग के संगणक केन्द्र में प्रथम श्रेणी के पदों की भर्ती-पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:**—(1) ये नियम सांख्यिकी विभाग संगणक केन्द्र (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रयुक्ति:**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से लेकर 4 तक के कालमों में दिए गए हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि:**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से लेकर 13 तक के कालमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के कालम 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

5. निरर्हताएं:—

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका कि एक पति/जिसकी कि एक पत्नी जीवित हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों में से कुछ भी, इस बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।